



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235173
CG-DL-E-18042022-235173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1826]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1826]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1737(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी, जन्म की तारीख

20 नवंबर, 1987, पुत्र गुलाम अहमद नेंगरू, निवासी हजन बाला राजपुरा, पुलवामा जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का एक कमांडर है ;

और जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 के अधीन एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और उक्त आशिक अहमद नेंगरू जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ में सम्मिलित रहा है, जो जम्मू-कश्मीर में विभिन्न आतंकी घटनाओं को करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं ;

और कश्मीर में आतंकी सिंडिकेट चलाने के पश्चात् उक्त आशिक अहमद नेंगरू अब पाकिस्तान स्थित दूरस्थ नियंत्रण से जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए खतरनाक मुहिम में सम्मिलित है ;

और उक्त आशिक अहमद नेंगरू वर्ष 2013 में पुलवामा, जम्मू-कश्मीर में एक पुलिस कार्मिक की हत्या करने, वर्ष 2020 में एक नागरिक की हत्या करने से संबंधित मामलों में और आतंक के लिए धन मुहैया कराने तथा आतंकवादियों को अवैध रूप हथियार देने में सम्मिलित रहा था ;

और आशिक नेंगरू भारत की सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा करता है, उसको ध्यान में रखते हुए तथा उसको आतंकवाद, जो भारत तक ही सीमित नहीं है, को बढ़ावा देने से रोकने के लिए यह अत्यावश्यक है, कि उसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन आतंकवादी के रूप में नामनिर्दिष्ट करना होगा ;

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है कि आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“36. आशिक अहमद नेंगरू उर्फ नेंगरू उर्फ आशिक हुसैन नेंगरू उर्फ आशिक मौलवी” ।

[फा. सं. 11034/18/2021-सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पणः विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1820 (अ). तारीख 13 अप्रैल 2022, द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1737(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @ Ashaq Moulvi having date of birth on the 20th November, 1987, son of Ghulam Ahmmad Nengroo, resident of Hajan Bala Rajpora, Pulwama, is one of the Commanders of terror outfit Jaish-e-Mohammad;

And whereas, Jaish-e-Mohammad is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act, at serial No. 6;

And whereas, the said Ashiq Ahmed Nengroo has been involved in infiltration of terrorists into Jammu and Kashmir, who have been responsible for inflicting various terrorist incidents in Jammu and Kashmir;

And whereas, after running a terror syndicate in Kashmir, the said Ashiq Ahmed Nengroo is now engaged in a perilous campaign to orchestrate terror in Jammu and Kashmir, remote controlled from Pakistan;

And whereas, the said Ashiq Ahmed Nengroo had been involved in the cases related to killing of one police personnel in Pulwama, Jammu and Kashmir, in the year 2013, killing of one civilian in the year 2020 and terror funding and illegal supply of weapons to terrorists;

And whereas, it is imperative, in view of the danger which the said Ashiq Nengroo poses to the security of the India, and in order to deter him from perpetrating terrorism not limited to India, that he shall be designated as a terrorist under the provisions of the said Act;

And whereas, the Central Government believes that Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @ Ashaq Moulvi is involved in terrorism and the said Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @ Ashaq Moulvi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“36. Ashiq Ahmed Nengroo @Nengroo @Ashaq Hussain Nengroo @Ashaq Moulvi”.

[F. No. 11034/18/2021/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1820 (E)., dated the 13th April, 2022.